

फर्द अहकाम

मादला उर्फ कफराज बनाम कल्याण मद्य

न्यायालय न.हा.प. उ.प. (फ.प. शाहपुरा - जयपुर)

प्रकरण संख्या 56/19 / 2018

प्राप्ता 7.1.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
15/5/24	<p>वडिल उम्हपस उप 01 वडिल उम्हपस 2 उम्ह प्रभोग - फा पर बहस की। वडिल जमी के उम्हण के जारी अस्माई निषेधाज्ञा के तर्फे मला इला वाद तड स्याई। कन्फर्म डिप जाते हेतु निवेदन दिया। वडिल कजाभी के कपस करते हुए उम्ह अस्माई निषेधाज्ञा को खारिज करते हेतु निवेदन दिया।</p> <p>इना मदा। बहस उम्हपस पर मन्तु दिया मदा। पमापली का कपबे 57 दिया मदा। इला वाद ब्येवारा व स्याई निषेधाज्ञा का दोन के उम्ह उम्हण में जारी अस्माई निषेधाज्ञा के तर्फे मला इला वाद स्याई। कन्फर्म डिप जाता है अतः - मादाला कोश डिपेंड 20/12/2018 के जारी अस्माई <del>समाप्त</del> निषेधाज्ञा के तर्फे मला इला वाद स्यामी कन्फर्म दिया जाता है। पमापली के कपबे शुभत हेतु वडिल कपबे के एवं इला वाद के कपबे है।</p>	

सहायक कलक्टर  
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.